

UPHR050006252022



Presented on : 03-11-2022
 Registered on : 03-11-2022
 Decided on : 06-05-2023
 Duration : 0 years, 6 months, 3 days

न्यायालय सिविल जज (सी०डि०) हरदोई।

पीठासीन अधिकारी- श्रीमती तूलिका बन्धू (उ०प्र० न्यायिक सेवा) J.O. Code – 1961

प्रकीर्ण वाद संख्या- 283/2022

श्रीमती असरफ जहाँ आदि बनाम जा० मृतक स्व० मकबूल अहमद आदि

दिनांक 06.05.2023

पत्रावली पेश प्रस्तुत हुई। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। वादीगण की ओर से प्रार्थनापत्र 3 क के निस्तारण पर बल दिया गया।

वादीगण श्रीमती असरफ जहाँ आदि की ओर से प्रार्थनापत्र 3 क, जोकि शपथपत्र 4 क से समर्थित है, धारा 372 भा० उ० अधि० के अन्तर्गत स्व० मकबूल अहमद पुत्र स्व० तुफैल अहमद निवासी मकान नम्बर 162 मो० वैटगंज परगना बंगर तहसील व जिला हरदोई की मृत्यु हो जाने पर उसके द्वारा छोड़ी गयी सम्पत्ति के बावत उत्तराधिकार प्रमाणपत्र निर्गत करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थिनी सं० 1 श्रीमती असरफ जहाँ मृतक मकबूल अहमद की पत्नी है। प्रार्थी सं० 2 मसूद अहमद, प्रार्थी सं० 3 सऊद अहमद, प्रार्थी सं० 4 मसरूर अहमद मृतक के पुत्रगण हैं एवं प्रार्थी सं० 5 कु० जीनत, प्रार्थी सं० 6 कु० नुसरत जहाँ, प्रार्थी सं० 7 कु० मुसरत जहाँ व प्रार्थी सं० 8 कु० रफतम जहां मृतक की पुत्रिया हैं। मकबूल अहमद की दिनांक 20.01.2018 को मृत्यु हो गयी है। मृतक ने अपने जीवन काल में किसी के हक में किसी वसीयत आदि का निष्पादन नहीं किया है। मृतक मकबूल अहमद के नाम भारतीय स्टेट बैंक शाखा हरदोई खाता संख्या 11102477034 में जमा धनराशि मु० 4,64,380.72/- पैसा, हरदोई डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक शाखा हरदोई खाता संख्या 000302200000379 में जमा धनराशि मु० 1,57,886.60/- पैसा व यूनियन बैंक आफ इण्डिया हरदोई में खाता संख्या 64077020110217 में जमा धनराशि मु० 8,362.67/- पैसा, कुछ जमा धनराशि मु० 6,30,629.99/- पैसा मय ब्याज है, जिसके बावत उत्तराधिकार प्रमाणपत्र निर्गत किए जाने की प्रार्थना की गयी है।

प्रार्थीगण की ओर से सूची 7 ग से जिलाधिकारी द्वारा निर्गत उत्तराधिकार प्रमाणपत्र की छायाप्रति, संबंधित बैंकों का अकाउंट स्टेटमेंट की छायाप्रति, मृतक मकबूल अहमद का मृत्यु प्रमाण पत्र छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रतियां प्रस्तुत की गयी है।

मुनादी कार्यवाही व प्रकाशन कराया गया। किसी की ओर से कोई आपत्ति नहीं दाखिल की गयी है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों एवं प्रार्थी सं० 2 मसूद अहमद, प्रार्थी सं० 3 सऊद अहमद, प्रार्थी सं० 4 मसरूर अहमद, प्रार्थी सं० 5 कु० जीनत, प्रार्थी सं० 6 कु० नुसरत जहाँ, प्रार्थी सं० 7 कु० मुसरत जहाँ

व प्रार्थी सं० 8 कु० रफतम जहां की ओर से दाखिल सहमति पत्र 10 ग के आधार पर उत्तराधिकार प्रमाणपत्र आवेदिका/प्रार्थिनी सं० 1 श्रीमती असरफ जहाँ के हक में निर्गत किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 3 क स्वीकार किया जाता है। मृतक मकबूल अहमद के नाम भारतीय स्टेट बैंक शाखा हरदोई खाता संख्या 11102477034 में जमा धनराशि मु० 4,64,380.72/- पैसा, हरदोई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक शाखा हरदोई खाता संख्या 000302200000379 में जमा धनराशि मु० 1,57,886.60/- पैसा व यूनियन बैंक आफ इण्डिया हरदोई में खाता संख्या 64077020110217 में जमा धनराशि मु० 8,362.67/- पैसा, कुछ जमा धनराशि मु० 6,30,629.99/- पैसा मय ब्याज है, के बावत उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, पर्याप्त न्यायालय शुल्क अदा करने पर आवेदिका/प्रार्थिनी सं० 1 श्रीमती असरफ जहाँ के हक में निर्गत निर्गत किया जाये।

प्रत्येक प्रार्थीगण/विपक्षीगण इस आशय की अण्डरटेकिंग देगे कि प्रार्थनापत्र में कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है और यदि भविष्य में असत्य पाया जावे अथवा किसी सक्षम न्यायालय अथवा प्राधिकारी द्वारा कोई अन्यथा आदेश पारित किया जाता है अथवा अन्य किसी व्यक्ति के हक में स्वीकार किया जाता है तो उक्त धनराशि उक्त आदेश के अधीन होगी। प्रार्थी व विपक्षी उक्त धनराशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

प्रार्थिनी न्यायशुल्क के बावत आवश्यक पैरवी अविलम्ब करे। मुंसरिम न्यायशुक्ल के बावत अपनी आख्या प्रस्तुत करे। तद्नुसार प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है।

दिनांक-06.05.2023

(तूलिका बन्धू)
सिविल जज (सी० डि०)
हरदोई।